अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप की मांग करते हुए बुद्धिजीवियों, सामाजिक और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, संगठनों की अपील

1.उपरोक्त मामला माननीय अदालत के समक्ष लंबित है और आवेदक इसमें हस्तक्षेप करना चाहते हैं. इस आवेदन के जरिये आवेदक इस सम्मानित अदालत से 30.9.2010 के फैसले/आदेश में हस्तक्षेप करने की इजाजत मांग रहे हैं. यह फैसला माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट की पूर्ण पीठ ने सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि तीन गुंबद वाले ढांचे में से बीच के गुबंद, जो विवादित है और जिसे भगवान राम जन्मस्थान और जिसे हिंदुओं के मत और विश्वास के मुताबिक राम के जन्म की जगह माना जा रहा है वह इस मौजूदा सिविल अपील के वादियों की है. यह भी कहा गया है कि अंदरुनी आंगन के दायरे में आई जमीन का इस्तेमाल हिंदू और मुस्लिमों दोनों ने किया इसलिए इसे दोनों समुदाय में बांट दिया जाए. यह भी कहा गया कि बाहरी आंगन का ढांचा निर्मोही अखाड़े का है और जिसे बाहरी आंगन कहा जा रहा है उसके भीतर का खुला इलाका निर्मोही अखाड़े और इस सिविल अपील के वादियों में बांट दिया जाए. इस तरह यह कहा गया कि मुस्लिम समुदाय को इस विवादित जमीन का एक तिहाई हिस्सा से कम नहीं दिया जाए.

2. आवेदक लोक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के नागरिक हैं और जो देश के हर हिस्से और हर क्षेत्र से आते हैं, जो मानते है कि संविधान में जो स्थापित मूल्य हैं, उनके प्रति प्रतिबद्धता अहम है. ये आवेदक इस फैसले में

www.cjp.org.in

हस्तक्षेप करने और एक वाजिब आवाज सुनाने की जरूरत समझते हैं. इस विवाद के पक्षों के अलावा भी कई ऐसी सुनी और अनसुनी आवाजें हैं जो इस विवाद की वजह से पैदा हिंसा और इसके नासूर के मूक दर्शक रहे हैं.

3. आवेदकों का संक्षिप्त परिचय इस तरह है-

आवेदक नंबर 1 श्याम बेनेगल

जाने-माने, प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता हैं और उनका करियर 43 साल लंबा है. उनकी फिल्में ऐतिहासिक रूप से सार्वजनिक मुददों पर आधारित रही हैं. 1974 में अंकुर फिल्म से लेकर 2010 में बनाई गई फिल्म वेलडन अब्बा से उनकी फिल्में उनके बारे में कहने के लिए काफी है. उनकी फिल्में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो सराही गई ही हैं वे आधुनिकता की ओर बढ़ते भारतीय समाज के मौजूदा सफर के ब्योरे भी समेटे हुए हैं. उन्हें हाल ही में एक सरकारी कमेटी में नियुक्त किया गया था, जिसने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सीबीएफसी को फिल्मों को सर्टिफिकेट जारी करना तक ही सीमित रहना चाहिए. उसे फिल्मों को सेंसर नहीं करना चाहिए.

बी. आवेदक नंबर 2 अपर्णा सेन

प्रतिष्ठित भारतीय फिल्म निर्माता, स्क्रीन राइटर और अभिनेत्री हैं और भारतीय सिनेमा खास कर बांग्ला फिल्म जगत में अपनी पुरस्कृत फिल्मों के लिए जानी जाती हैं. उन्हें तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुके हैं. फिल्म निर्देशन के लिए नौ अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं. उनकी फिल्में ज्वलंत सामाजिक मुद्दों पर उनकी चिंता दिखती है. उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने 1987 में उन्हें देश के चौथे सर्वोच्च सम्मान पद्म श्री से सम्मानित किया है. वह सार्वजनिक विमर्श में सहिष्णुता और सभ्यता की पैरोकार रही हैं. दबे-कुचले के लिए वह एक मजबूत आवाज रही हैं.

सी. आवेदक नंबर अनिल धारकर

स्तंभकार और लेखक हैं. वह सिटीजन ऑफ जस्टिस एंड पीस के संस्थापक निदेशक और अध्यक्ष हैं. इस संगठन की स्थापना गुजरात दंगों के बाद की गई थी. धारकर

www.cjp.org.in

मुंबई लिटरेरी फेस्टिवल के भी संस्थापक निदेशक हैं. बाद में उन्होंने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट (तत्कालीन फिल्म फाइनेंस कॉरपोरेशन) कॉरपोरेशन के प्रमुख का पद संभाला. उन्हीं के कार्यकाल में गोविंद निहलानी, सईद मिर्जा, अपर्णा सेन, केतन मेहता, विधू विनोद चोपड़ा जैसे घर-घर में पहचाने गए फिल्म निर्माताओं ने अपने फिल्म निर्माण करियर की शुरुआत की.

डी.

आवेदक नंबर 4 तीस्ता सीतलवाड़

लेखिका, पुरस्कार प्राप्त पत्रकार और शिक्षाविद हैं. सीतलवाड़ मानवाधिकार कार्यकर्ता और सिटिजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस की सेक्रेट्री हैं. वह 1983 से ही पत्रकारिता में सक्रिय हैं. वह द डेली और द इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्टर रह चुकी हैं. वह बिजनेस इंडिया में वरिष्ठ संवाददाता रह चुकी हैं. 1993 से वह कम्यूनिलज्म कॉंबेट पत्रिका की संपादक पद संभाल रही हैं. उन्होंने भारतीय पुलिस बल में सांप्रदायिकता, स्कूली किताबों में संस्थागत पूर्वाग्रह और जाति और लैंगिक पूर्वाग्रह के मुद्दों पर रिपोर्टिंग की और इन मुद्दों को विश्लेषण किया है. कम्यूनिलज्म कांबेट और मुख्यधारा के अखबारों में वह खोजी पत्रकारिता के जरिये वे इन मुद्दों को सामने लाती रही हैं.

ई.

आवेदक नंबर 5,

ओम थानवी वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं. वह कई किताबें लिख चुके हैं और राष्ट्रीय हिंदी दैनिक अखबार जनसत्ता (इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप, उत्तर प्रदेश) के संपादक रह चुके हैं. उन्हें पत्रकारिता के लिए राष्ट्रपति से गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार मिल चुका है. उन्हें गद्य के लिए शमशेर सम्मान और पत्रकारिता के लिए हल्दीघाटी सम्मान भी मिल चुका है. थानवी को सार्क साहित्य सम्मान और हिंदी अकादमी सम्मान भी हासिल है. हाल में वह अपनी किताब मोहनजोदड़ो के लिए के के बिरला फाउंडेशन की ओर से विहारी सम्मान से सम्मानित किए गए हैं.

एफ.

www.cjp.org.in

आवेदक नंबर 6 साइरस जे. गजदर

फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. वह 1985 से इस पद पर हैं. श्री गजदर ने अपने कैरियर की शुरुआत आईसीआईसीआई और फेडेक्स एक्सप्रेस ट्रांसपोर्टेशन एंड सप्लाई चेन सर्विसेज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड से की थी, जो 1971 में एयरफ्राइट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी. वह सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस (CJP) के संस्थापक सदस्य हैं. वह इसके बोर्ड में भी शामिल हैं.

जी.

आवेदक नंबर 7. अरुणा राय

पूर्व आईएएस अधिकारी हैं. सुश्री राय राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता और मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) की संस्थापक हैं. 2000 में उन्हें मैगसेसे पुरस्कार मिल चुका है. 2010 में वह लोक प्रशासन, अकादमिक और प्रबंधन में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजी जा चुकी हैं. अरुणा राय मजदूर किसान शक्ति संगठन और नेशनल कैंपेन फॉर द पीपुल्स राइट टु इनफॉरमेशन (NCPRI) के जरिये सूचना के अधिकार के अधिकार के लिए अभियान चलाने वाले शुरुआती आंदोलनकारियों में शामिल थीं. इसकी बदौलत ही 2005 में सूचना का अधिकार कानून बना. वह नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में भी शामिल रही थीं. 2006 में उन्होंने इससे इस्तीफा दे दिया था.

एच.

आवेदक नंबर 8. गणेश एन. डेवी

महाराजा सयाजी राव शिंदे यूनवर्सिटी, बड़ौदा में अंग्रेजी के पूर्व प्रोफेसर हैं. वह प्रसिद्ध साहित्य आलोचक, भाषा रिसर्च एंड पब्लिकेशन सेंटर बड़ोदरा और आदिवासी एकेडमी, तेजगढ़ गुजरात के संस्थापक निदेशक हैं. ये संगठन आदिवासी समुदायों पर अध्ययन के लिए खास माहौल मुहैया करते हैं. उन्होंने पीपुल्स लिंगविस्टक सर्वे ऑफ इंडिया, 2010 की अगुवाई की. इसके जरिये व्यापक शोध कर देश में प्रचलन में मौजूद 780 भाषाओं को सर्वे किया गया.

www.cjp.org.in

आई

आवेदक नंबर 9 बीटी ललिता नाइक

लेखिका और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वह कर्नाटक की महिला और बाल कल्याण मंत्री रही हैं.

जे

आवेदक नंबर 10 मेधा पाटकर

आदिवासियों, दलितों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं से जुड़े राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर लगातार संघर्ष करती रही हैं. वह प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता हैं. मेधा पाटकर तीन राज्य, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में चल रहे 32 साल पुराने जनांदोलन नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक सदस्य रही हैं.

के. आवेदक नंबर 11 कुमार केतकर

केतकर पत्रकार हैं. अपने 40 साल के करियर में वह प्रतिष्ठित समाचारपत्र समूहों टाइम्स ऑफ इंडिया (चीफ एडिटर, महाराष्ट्र टाइम्स) और इंडियन एक्सप्रेस (चीफ एडीटर, लोकसत्ता) से जुड़े रहे हैं. 2001 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके अलावा आर्थिक और वित्तीय लेखन के लिए उन्हें सीडी देशमुख सम्मान से सम्मानित किया गया. इंटरनेशनल कवरेज के लिए जायंट अवार्ड मिल चुका है. मीडिया में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए कुमार केतकर को राजीव गांधी पुरस्कार मिल चुका है. उन्हें दूरदर्शन अवार्ड, बेहतरीन पत्रकारिता के लिए रत्नदर्पण पुरस्कार और महाराष्ट्र की ओर से महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिल चुका है.

एल.

आवेदक नंबर 12 आनंद पटवर्धन प्रख्यात डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं. उनके राजनीतिक वृतचित्र धार्मिक कट्टरता के खिलाफ और धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में चलाए गए उनके चार दशक के संघर्ष के दस्तावेज हैं.

एम

www.cjp.org.in

आवेदक नंबर 13 जयति घोष

जयति विकास अर्थशास्त्री हैं. वह जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ सोशल साइंस में सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर हैं. ग्लोबलाइजेशन, इंटरनेशनल फाइनेंस, विकसित देशों में रोजगार पैटर्न, मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां और जेंडर और विकास से जुड़े मुद्दे उनके अध्ययन और काम करने के विषय हैं. वह पश्चिम बंगाल मानव विकास रिपोर्ट लिखने वालों में एक प्रमुख लेखिका रही है इसे बेहतरीन विशलेषण का यूएनडीपी पुरस्कार भी मिल चुका है. इसके लिए वह कई विद्वतापूर्ण लेख लिख चुकी हैं. वह फ्रंटलाइन, बिजनेसलाइन, बांग्ला समाचारपत्र गणशक्ति, डेक्कन क्रॉनिकल और एशियन एज के लिए लगातार स्तंभ लेखन करती हैं. उन्हें फरवरी 2011 में प्रोफेसर इवा लेंडउ के साथ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन (ILO) का डिसेंट वर्क रिसर्च पुरस्कार मिल चुका है.

एन. आवेदक नंबर 14 कल्पना कण्णबीरन

कल्पना एक भारतीय समाजशास्त्री और वकील हैं. वह इस वक्त सोशल डेवलपमेंट काउंसिल, हैदराबाद की डायरेक्टर हैं. वह समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं और काउंसिल फॉर सोशल डेवलपमेंट, हैदराबाद की डायरेक्टर हैं. यह इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च समर्थित एक स्वायत्त शोध संस्थान हैं. सुश्री कल्पना मार्च 2011 से ही इस पद पर हैं.

ओ

आवेदक नंबर 15 प्रोफेसर जी हरगोपाल

हरगोपाल सीनियर एकेमेडिशियन, शिक्षाशास्त्री और मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं. वह एनएलएसयूआई, बेंगलुरू के विजिटिंग प्रोफेसर हैं, जहां मास्टर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी प्रोग्राम में राजनीतिक अर्थशास्त्र और लोक प्रशासन पढ़ाते हैं. अकादमिक समुदाय में गरीबी और विकास से संबंधित उनके अध्ययन को बेहद सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है. विकास के लिए राज्य का एजेंडा और लोक नीति तय करने को दिशा देने में उनके हस्तक्षेप के प्रयास के काफी अच्छे नतीजे हासिल हुए हैं.

www.cjp.org.in

प्रोफेसर हरगोपाल फिलहाल हैदराबाद यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से जुड़े हैं. इसके पहले वह काकातीय यूनवर्सिटी और उस्मानिया यूनवर्सिटी से भी जुड़े रहे हैं. उन्हें वियेना, यूएन में आयोजित मानवाधिकार सम्मेलन में भी आमंत्रित किया गया था. प्रोफेसर हरगोपाल आंध्र प्रदेश सिविल लिबर्टीज कमेटी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं.

पी.

आवेदक नंबर 16 एन बभैया

बभैया मानवाधिकार कार्यकर्ता और प्रोफेसर रहे हैं. श्री बभैया दशकों से दबे-कुचले लोगों के हितों के लिए और उन्हें अधिकार दिलाने के लिए संघर्षरत रहे हैं. वह पीपुल्स डेमोक्रेटिक फोरम , कर्नाटक के अध्यक्ष रहे हैं.

क्यू

आवेदक नंबर 17 आर बी श्रीकुमार

श्रीकुमार एक आईपीएस ऑफिसर हैं. इन्हें उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिल चुका है. श्रीकुमार गुजरात के डीजीपी रह चुके हैं. फरवरी 2007 में अपना ईमानदार कार्यकाल समाप्त होने उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था. वह केंद्रीय और राज्य इंटेलिजेंस के चीफ जैसे संवेदनशील पदों पर रह चुके हैं.

आर.

आवेदक नंबर 18 किरन नागरकर

नागरकर भारतीय उपन्यासकार, नाट्य लेखक, फिल्म और नाट्य समालोचक, पटकथा लेखक हैं. उनका काम मराठी और अंग्रेजी साहित्य में है. एक से ज्यादा भाषाओं में प्रमुख उपन्यास लेखक के बतौर नागरकर की पहचान बनी है. उनका उपन्यास सात सक्कम तेरचालिस मराठी साहित्य का महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है.

एस. आवेदक नंबर 19 एम के रैना

www.cjp.org.in

रैना मशहूर थियेटर डायरेक्टर और सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (SAHMAT) के संस्थापक सदस्य हैं. वह राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय (NSD) के ग्रेजुएट हैं और सक्रिय रूप से थियेटर में अभिनय और निर्देशन से जुड़े हैं. रैना फ्रीलांस थियेटरकर्मी हैं. वह 1972 से ही थियेटर, फिल्म और सांस्कृतिक गतिविधियों से जुड़े हैं. उन्होंने कई भाषाओं, रूपों और तकनीक में नाट्य प्रयोग किए हैं.

टी.

आवेदक नंबर 20 सोहेल हाशमी

लेखक फिल्म मेकर और सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट के संस्थापक सदस्य हैं. सोहेल हाशमी बच्चों की क्रिएटिव सेंटर लीप इयर्स के पूर्व निदेशक हैं. उन्होंने भाषा,संस्कृति और सांप्रदायिकता जैसे मुद्दों पर खूब लिखा है. वह पिछले 15 साल से डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में सक्रिय हैं. उन्होंने भारत में महिलाओं की शिक्षा पर काम करने वाली अग्रणी लोगों के जीवन पर रिसर्च कर फिल्म बनाई है. उन्होंने महिलाओं और साक्षरता जैसे सामाजिक मुद्दों पर भी फिल्म बनाई है.

यू

आवेदक नंबर 21 राम रहमान

सफदर हाशमी मेमोरियल ट्रस्ट (SAHMAT) के संस्थापक सदस्य और प्रख्यात फोटोग्राफर, क्यूरेटर और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. वह भारती समाज के उपेक्षित तबकों की फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं. ग्राफिक डिजाइन और आर्किटेक्चर फोटोग्राफी के लिए भी वह मशहूर हैं. वह देश के सामाजिक ताने बने के संरक्षण के लिए किए गए अपने काम के लिए जाने जाते हैं.

वी. आवेदक नंबर 22. सुमन मुखोपाध्याय

वरिष्ठ अभिनेता और बंगाल के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक हैं. उनके निर्देशन में बनी पहली फिल्म थी हरबर्ट जो 2006 में रिलीज हुई थी और इसे बेहतरीन बांग्ला फिल्म का नेशनल अवार्ड जीती था.

www.cjp.org.in

डब्ल्यू.

आवेदक नंबर 23. जय सेनगुप्ता

भारतीय फिल्म और स्टेज एक्टर हैं. उन्होंने बॉलीवुड और बांग्ला फिल्म उद्योगों दोनों में काम किया है. फिल्म और थियेटर जगत में वह पिछले 25 साल से सक्रिय हैं. वह वेस्ट एंड लंदन, ऑफ ब्रॉडवे एनवाईसी, एडिनबर्ग फ्रिंज और सिडनी के नाडा से जुड़े हैं. वह हिंदी, अंग्रेजी और बांग्ला की 30 फीचर फिल्मों में काम कर चुके हैं. इनमें हजार चौरासी की मां (हिंदी), हेट स्टोरी, अंजना अंजनी, देहम/हारवेस्ट (अंग्रेजी), भोपाल अ प्रेयर फॉर पेन, पातालघर (बांग्ला) चतुरंग शामिल हैं. इन फिल्मों की बदौलत उन्हें छह राष्ट्रीय और लगभग एक दर्जन इंटरनेशनल अवार्ड मिल चुका है. वह फिल्मों में अभिनय के लिए व्ही. शांताराम अवार्ड हासिल कर चुके हैं.

एक्स.

आवेदक नंबर 24 जॉन दयाल

जॉन दयाल राजनीतिक कार्यकर्ता हैं. वह नेशनल इंटिग्रेशन काउंसिल (NIC) के सदस्य हैं और ऑल इंडिया कैथोलिक यूनियन के पूर्व प्रेसिडेंट. वह प्रख्यात पत्रकार, लेखक, डॉक्यूमेंटरी फिल्म मेकर और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के मानवाधिकार और शांति कार्यकर्ता हैं.

वाई.

आवेदक नंबर 25 डॉल्फी एंथनी डिसूजा

डिसूजा एक मानवाधिकार कार्यकर्ता और बांबे कैथोलिक सभा के पूर्व अध्यक्ष हैं. वह पुलिस सुधार आंदोलन के संयोजक हैं भारतीय पुलिस में संस्थगत सुधारों को बढ़ावा देता है.

जेड

आवेदक नंबर 26 के एल अशोक

www.cjp.org.in

अशोक कर्नाटक कम्यूनल हारमनी फोरम (केकेएसवी) के महासचिव हैं. केकेएसवी कर्नाटक के हर जिले में होने वाला जीवंत जनांदोलन है. यह भारत के मिलीजुली संस्कृतिक मूल्यों और संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों का संरक्षक है.

एए

आवेदक नंबर 27 के पी श्रीपाल

श्रीपाल वकील और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोक हितों के प्रति प्रतिबद्ध हैं.

बीबी

आवेदक नंबर 28 ए के सुबैया

सुबैया विधान परिषद के पूर्व सदस्य और कई किताबों के लेखक हैं. कन्नड़ भाषा मे वह कई लेख लिख चुके हैं.

सीसी

आवेदक नंबर 29 सुरेश भट्ट बाकराबली

बाकराबली प्रसिद्ध लेखक,एक्टिविस्ट और अनुवादक हैं. लगभग तीन दर्जन अनुवाद कार्य उनके खाते में हैं.

डीडी

आवेदक नंबर 30 तनाज दारा मोदी

रुपाबेन मोदी गुजरात दंगों में बची बहादुर महिला हैं. वह 2002 के गुजरात दंगों का चेहरा हैं.

ईई.

आवेदक नंबर 31 मुनीजा आर खान

www.cjp.org.in

अकादकमिक और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्होंने धर्मनिरपेक्षता, लैंगिक विषयों और शांति से जुड़े मुद्दों का अध्ययन किया है. वह प्रतिष्ठित बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से समाजशास्त्र में पीएचडी हैं और रेडिएंट पब्लिशर्स की ओर से प्रकाशित 'सोशल लीगल आस्पेक्ट्स ऑफ मुस्लिम विमेन' की लेखिका हैं. उन्होंने कई शोध कार्य किए हैं. इनमें 'कम्यूनल राइट्स इन वाराणसी'1989 (मोनोग्राफ), वाराणसी की मुस्लिमों की शिक्षा पर एक प्रोजेक्ट शामिल है. इसके अलावा आईसीसीआर के फंड पर किया गया वाराणसी में 1991 के दंगों पर किया गया शोध कार्य शामिल है. इन्होंने 1996 में लखनऊ में हुए दंगों पर भी शोध कार्य किया है, जिसे सीएसएसएस ने फंड किया था.

एफएफ. आवेदक नंबर 32 तनवीर जाफरी

अहसान जाफरी के पुत्र हैं. अहसान जाफरी गुजरात के सांसद थे. तनवीर पेशे से इंजीनियर हैं. 2002 के दंगों के शिकार रह चुके हैं.

4. इन आवेदकों को लखनऊ में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ की ओर से दिए गए फैसले से पीड़ा पहुंची हैं. मौजूदा सिविल वादियों ने कई कानूनी और सामाजिक मुद्दे उठाए हैं जिनका देश के सांप्रदायिक ताने-बाने पर दूरगामी असर होगा. इसलिए आवेदकों का कहना है कि मौजूदा सिविल अपील को सिर्फ भूमि विवाद के नजरिये से ही नहीं देखा जाए. आवेदक लोकहित से प्रेरित लोग हैं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध होने की वजह से मौजूदा सिविल अपील/अपीलों में एक ऐसे प्रस्तावित हल के साथ हस्तक्षेप करना चाहते हैं जो हमारे धर्मनिरपेक्ष और सहिष्णु मूल्यों से प्रेरित है भारत जैसे विविध धर्मों वाले देश में शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है. यह कहा जा चुका है कथित भवन के साथ सांप्रदायिक हिंसा का इतिहास जुड़ा हुआ है. लिहाजा मौजूदा सिविल अपीलों में चाहे हिंदुओं के पक्ष में फैसला आए या मुस्लिमों में किसी न किसी पक्ष से तीखी प्रतिक्रिया होनी तय है.

www.cjp.org.in

5. आवेदकों की ओर से इस विषय पर किए गए अध्ययन से पता चलता है कि विवादित जमीन के बारे में पहला वाद महंत रामदास ने दायर किया था. जनवरी 1985 में दायर किए गए वाद की मूल वाद संख्या थी 61/280. इस वाद को खारिज कर दिया गया था. लिहाजा अदालत की ओर से इस वाद को खारिज कर देने के खिलाफ दो अपीलें दायर की गईं. इस वाद के बाद पांच और वाद दायर किए जिनमें इमारत के विध्वंस को बचाने के लिए धार्मिक और निषेधात्मक अधिकार लागू करने की अपील की गई थी. सभी पांच वादों पर सुनवाई हुई और फिर इन्हें 10.7.1989 के आदेश पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तीन जजों की बेंच को स्थानांतरित कर दिया गया. मौजूदा सिविल अपीलों के आधार पर ही इसी वाद पर माननीय उच्च न्यायालय विचार कर रहा है.

6. आवेदकों ने जो बात रखी है, उसकी तीन तहें हैं.

ए. मूल वाद से जुड़ा कोई भी पक्ष यह साबित नहीं पाया है कि विवादित इमारतों पर उसका स्वामित्व है.

बी. माननीय हाई कोर्ट में तय किया है कि विवादित ढांचे के पुराने केंद्रीय गुबंद के दायरे में आने वाली जमीन भगवान राम का जन्म स्थल है. इसके बावजूद इसका कोई पुरातात्विक सबूत नहीं है. कुछ उदाहरणों को स्वीकार कर ऐतिहासिक सबूतों को दरकिनार कर कोर्ट ने यह व्यवस्था दी थी.

सी. उक्त इमारत और इसको लेकर पिछले तीन दशकों जारी विवाद की वजह से देश में कई बार सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और अंततः दंगे हुए हैं.

डी. आवेदकों को आशंका है अगर हाई कोर्ट ने मौजूदा सिविल अपील/अपीलों में किसी पक्ष में फैसला दिया तो निश्चित तौर पर यह समुदायों के बीच तीखी प्रतिक्रिया पैदा करेगा, जो हिंसा की घटनाओं में तब्दील हो सकती है. इस मामले में विभिन्न राजनीतिक दलों के शामिल होने से हिंसा की यह प्रवृति को बढ़ावा दिया जा रहै. देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने के लिए यह गंभीर खतरा है.

www.cjp.org.in

7. इसलिए इन व्यापक मुद्दों को ध्यान में रखते हुए आवेदक विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि उक्त विवाद को सिर्फ जमीन विवाद नजरिये से नहीं देखना चाहिए. माननीय अदालत को इस मामले से जुड़े इन सिविल अपीलों में किसी भी समुदाय के पक्ष में फैसला देने से बचना चाहिए. अदालत को व्यापक जनहित में फैसला देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द की रक्षा करनी चाहिए.

8. आवेदकों का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने खास तौर से पाया है कि इस विवाद से जुड़ा का कोई भी पक्ष अंतिम रूप से विवादित संपत्ति पर अपना हक साबित नहीं कर सका है. इसलिए माननीय हाई कोर्ट इस मामले में संपत्ति पर कब्जे के आधार पर फैसले के लिए आगे बढ़ा है. इस मामले में अपने असहमति नोट में अपने निष्कर्ष पर खास तौर पर कहा है–

' दोनों पक्ष संपत्ति पर अपना दावा साबित करने में नाकाम रहे हैं इसलिए सबूत अधिनियम की धारा 110 के तहत साझा कब्जा के आधार पर दोनों पक्षों का इस पर अधिकार बनता है. '

9. इसके अलावा माननीय हाई कोर्ट अलग-अलग लोगों के प्रमाण और कई ऐतहासिक दस्तावेजों के अध्ययन के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कम से कम 1855 के बाद विवादित इमारत का अंदरुनी आंगन का इस्तेमाल हिंदुओं और मुस्लिमों द्वारा संयुक्त रूप से होता रहा है.बाहरी आंगन और इससे घिरे क्षेत्र का इस्तेमाल सिर्फ हिंदुओं के द्वारा किया जाता रहा है. इसलिए उपरोक्त निष्कर्ष के आधार माननीय अदालत ने कहा–

(1)- यह घोषित किया जाता है तीन गुंबद वाले ढांचों में मध्य का ढांचा, जो हिंदुओं की आस्था और विश्वास के मुताबिक भगवान राम का जन्मस्थल वादियों (वाद नंबर-5) का है. इसमें प्रतिवादी किसी भी तरह से बाधा नहीं डालेंगे और न हस्तक्षेप करेंगे. यह एरिया एएए बीबी सीसी और डीडी अक्षरों से दिखाया गया है और यह फैसले का परिशिष्ट नंबर 7 है.

(2) अंदरुनी आंगन के भीतर का इलाका बीसी अक्षर से रेखांकित किया गया है.

www.cjp.org.in

परिशिष्ट 7 में D L K HG (इसमें 1 को छोड़ कर) को दोनों समुदाय यानी हिंदू वादियों (यहां हिंदू वादियों की वाद संख्या-5 है) और मुस्लिमों दोनों का है. यह इसलिए कि दशकों और सदियों से यह दोनों समुदायों की ओर से इस्तेमाल की जा रही है.

हालांकि यह स्पष्ट कर दिया है इस निर्देश के जरिये वाद नंबर-5 के वादियों के हिस्से का मतलब जो इलाका (1) में बताया गया है उसमें उपरोक्त भी शामिल है.

(3) ढांचों से कवर इलाका, जिसे राम चबूतरा (परिशिष्ट 7 में EE FF GG HH), सीता रसोई (परिशिष्ट 7 में MM NN OO PP) और बाहरी आंगन में भंडार (परिशिष्ट 7 में II JJ KK LL) में निर्मोही अखाड़े के हिस्से में घोषित किए गए हैं. (प्रतिवादी नंबर 3) इसलिए यह तब तक उनके पास रहेगा जब तक कि अन्य लोग दावेदारी के बेहतर प्रमाण के साथ आगे न आएं.

(4) बाहरी आंगन का खुला इलाका (परिशिष्ट 7 में A G H J K L E F) (3 नंबर में रेखांकित की जगह को छोड़ कर) निर्मोही अखाड़े (वाद नंबर -3) और वाद नंबर - 5 के वादियों की हिस्सेदारी में हैं. क्योंकि दोनों पूजा स्थलों का इस्तेमाल आम तौर पर हिंदू लोग करते रहे हैं.

4 ए- हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है मुस्लिम पक्षों के हिस्से में इमारत के पूरे क्षेत्रफल की एक तिहाई (1/3) हिस्से से कम नहीं होगा. और अगर जरूरत पड़ी तो बाहरी आंगन का कुछ और इलाका उन्हें दिया जा सकता है. यह भी स्पष्ट किया गया कि अगर चौहद्दी और परिधि के जरिये जमीन का बंटवारा किया गया और इस वजह से प्रभावित पक्षों को हिस्सेदारी देने में थोड़ा एडजस्ट करना पड़ा तो उसे जरूरी जमीन की भरपाई, उस इलाके में भारत सरकार के कब्जे वाली जमीन से की जाएगी.

10. आवेदकों का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने जिन मुद्दों पर निर्णय किया है और जो उपरोक्त मामले के दिए गए फैसले के मूल में है वे उसे मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जा सकता है-

www.cjp.org.in

1. क्या विवादित संपत्ति भगवान राम का जन्मस्थल है या फिर उक्त जमीन पर एक मंदिर था?
2. क्या हिंदू विवादित जगह पर लगातार पूजा करते आए हैं?
3. क्या इस मुकदमे के पक्ष के लोग अपने-अपने कब्जे को साबित कर पाए हैं.क्या वे यह साबित कर पाए हैं कि उनकी जमीन दूसरे पक्ष के पास है?
4. अगर यह कहा जा रहा है कि उक्त जमीन नजूल की है तो उस जमीन और उससे पड़ने वाले असर की पहचान हो.

11. आवेदकों का कहना है कि उपरोक्त मुद्दों (यानी विवादित जमीन भगवान राम का जन्म दिन है या नहीं और क्या उक्त जमीन में भगवान राम का मंदिर था या नहीं) पर विचार करते हुए माननीय हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित संपत्ति भगवान राम का जन्मस्थल है और विवादित ढांचा यानी बाबरी मस्जिद एक मंदिर पर बना है.

12. माननीय हाई कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि विवादित इमारत के मध्य गुंबद के नीचे भगवान राम का जन्म हुआ था. माननीय हाई कोर्ट का यह निष्कर्ष आस्था की अवधारणा पर था. अदालत के इस निर्णय के अनुच्छेद 4412 और 4413 में इस मुद्दे पर कहा गया है- ``*उपरोक्त सभी बयानों को एक बार पढ़ने से यह खास तौर पर स्पष्ट हो गया है कि परंपरा से चले आ रहे हिंदुओं का विश्वास रहा है कि राम का जन्मस्थल विवादित इमारत के भीतर है और तीन गुंबद वाले ढांचे में से मध्य गुंबद के इलाके से घिरा है. यानी यह विवादित स्थल अंदरुनी आंगन में है. इस निष्कर्ष पर पहुंचने में हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है क्योंकि इस मामले में अपीलों की वजह से हम भटके नहीं हैं. जब हिंदू पक्ष ने पूरे विवादित स्थल को पूजा स्थल के दौर पर संदर्भित किया है तो यह अदालत भी तथ्य को खोजने और इसे रिकार्ड करने के लिए तत्पर है. यह पूरे इलाके लेकिन उक्त इमारतों के भीतर एक छोटे से इलाके के तथ्य खोजेगा और इसे रिकार्ड करेगा. अपीलों में इस मसले पर परिशुद्ध तरीके से देखने को नहीं कहा गया लेकिन अदालत को वहां यह चीज खोजनी होगी कि इस मामले से जुड़े पक्ष अपने केस को जानते हैं या नहीं. ''*

मामले में दोनों पक्षों की ओर से प्रमाण पेश किए गए हैं. हिंदुओं की ओर से 19 गवाह पेश किए गए है. हिंदुओं की ओर से प्रतिवादी के पक्ष को मजबूत करने के तर्क दिए हैं.

कोर्ट ने जो कहा है उस पर आवेदक चकित हैं–

विद्वान जज इस मामले में कहते हैं– "एक बार हमें यह जब मालूम हो गया कि आस्था और परंपरा से हिंदू विवादित जगह पर भगवान राम के जन्मस्थान की पूजा करते हैं तो हमारे पास इस तरह की ऐतिहासिक घटनाओं में व्यावहारिक रवैया अपनाने के लिए इस जगह को भगवान राम का जन्मस्थल न मानने का कोई कारण नहीं बचता। (अनुच्छेद 4407)"

13. माननीय हाई कोर्ट ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस मामले में जो तर्क अपनाए, उसके बारे में आवेदकों को विनम्रतापूर्वक कहना है कि यह विरोधाभासी है. और यह ऐतिहासिक घटनाओं का गलत आकलन है. साथ ही उक्त ऐतिहासिक रिकार्ड का आज के दौर में जो मूल्यांकन हुआ है, वह भी गलत है. माननीय हाई कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है वह इस तरह है–.

इस निष्कर्ष तक पहुंचने में माननीय हाई कोर्ट ने कुछ हिंदुओं और मुस्लिमों की ओर से पेश किए गए सबूतों पर विचार किया. इसमें कहा गया है कि उनका विश्वास है कि विवादित इमारत के गुंबदों में से बीच गर्भ गृह है यानी भगवान राम का जन्मस्थल है. माननीय अदालत ने इस संदर्भ में उन ऐतिहासिक और दस्तावेजी सबूतों को नजरअंदाज या खारिज किया है, जो इसके इस नजरिये को गलत साबित कर सकता है कि जो यह कहता है कि परंपरा और विश्वास से बाबरी मस्जिद के उत्तरी इलाके में स्थित राम मंदिर भगवान राम का जन्म स्थान है. इसमें 1770-1870 ईस्वी के बीच की रिकार्ड की भी अनदेखी की गई है. हेमिल्टन की 1815/1828 के गजेटियर मस्जिद के न होने के साथ इस बात का भी जिक्र नहीं है कि लोग इस जगह को भगवान राम के जन्मस्थल के तौर पर मान्यता देते रहे हैं. इसलिए माननीय अदालत ने पुरानी विवादित इमारत में मध्य गुंबद के तहत आने वाली जगह के बारे में जो कहा है वह पूरी तरह हिंदू समुदाय के विश्वास पर आधारित है. अदालत ने किसी भी तरह के सबूत को दरकिनार कर

दिया है. इसलिए आवेदक विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि अदालत के इस कथन में खामियां हैं. अदालत ने इस संबंध में जो तथ्य ढूंढा है वह हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं दे देता.

जहां तक मध्य गुंबद के तहत आने वाले वाले क्षेत्र का सवाल है तो किसी भी तरह इस तरह के मुद्दे सिर्फ विश्वास/मान्यता के आधार पर नहीं सुलझाए जा सकते. यह कानून के खिलाफ होगा. वो रूल ऑफ लॉ जो हमारे संविधान का आधारभूत सिद्धांत है. आवेदक विवादित जगह के बारे में अदालत के निष्कर्ष को नकारते हैं. अदालत का यह कहना है बहुसंख्यक हिंदुओं में मान्यता है कि विवादित संपत्ति (इमारत) भगवान राम का जन्मस्थल है. लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, जिस पर अदालत का निष्कर्ष टिक सके. इसके अलावा आवेदकों का यह भी कहना है कि अयोध्या में ऐसी कई जगहें हैं जिनको लेकर यह दावा किया जाता है कि भगवान राम का जन्म वहां हुआ था. यह साफ कहा गया है कि अधिकतर हिंदू इस बात को नहीं मानते कि विवादित इमारत में ही भगवान राम का जन्म हुआ था.

14. आवेदकों का विनम्रतापूर्वक यह भी कहना है कि ऐतिहासिक सबूतों के मूल्यांकन में कई जगहों को हटा दिया गया है. माननीय अदालत में मुस्लिम धर्म ग्रंथों, हिंदू धर्म ग्रंथों , स्कंद पुराण, मुस्लिम इतिहासकारों द्वारा लिखे विवरणों और फ्रांसीसी जेसुइट पादरी, ब्रिटिश अधिकारियों की लिखी डायरियों और गजेटियर का अध्ययन किया है. इसके अलावा एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका, नक्काशी किए गए पत्थरों, ढांचे के मलबे में मिले खुदे हुए पत्थर, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्टों का भी अध्ययन किया गया. लेकिन ये सारे अध्ययन इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचते कि विवादित जगह पर भगवान राम का जन्म हुआ था. जैसा कि माननीय अदालत ने हिंदू विश्वास के आधार पर निष्कर्ष निकाला है. उदाहरण के लिए, माननीय हाई कोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अध्ययन किए हुए जिन शिलालेखों पर भरोसा किया है वे 16वीं सदी की शुरुआत के हैं. लेकिन अदालत ने यह कहा है कि यह साबित नहीं हुआ है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण बाबर के शासन में हुआ. जबकि यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निष्कर्षों के उलट है. इसी प्रकार, आवेदकों का भी यही कहना है कि हिंदू मंदिर तोड़ कर वहां इमारत

बनाए जाने वाला निष्कर्ष निकालने के लिए माननीय हाई कोर्ट ने संस्कृत शिलालेखों पर भरोसा किया. लेकिन यहां यह कहना है जरूरी है कि 1528 से पहले अय़ोध्या से जुड़े इन संस्कृत शिलालेखों में कहीं भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर भगवान राम का जिक्र नहीं है. और न ही भगवान राम के जन्मस्थल से जुड़े होने के कारण अयोध्या के साथ कोई पवित्रता जुड़ी रही है.

तथ्य यह कि ये चीजें कार सेवाओं की ओर से प्रचारित की गई हैं और यह सब विध्वंस के दौरान हुए. इसलिए इन शिलालेखों की प्रामाणिकता पर लगातार सवाल उठते हैं.

माननीय हाई कोर्ट के फैसले के अनुच्छेद नंबर 4384 में इसकी संभावना जताई गई है. शिलालेखों से साबित हुआ कि बाबरी मस्जिद की जगह पर विष्णु-हरि मंदिर का निर्माण हुआ था. जाहिर है कि अगर राम मंदिर का निर्माण हुआ होता तो इसका जिक्र भी होता. शिलालेख में विष्णु हरि मंदिर का जिक्र है लेकिन देवता के लिए 'राम' का कभी जिक्र नहीं हुआ. इस जगह के रामजन्मभूमि होने के दावे को खुद विश्व हिंदू परिषद के गवाह डॉ. के वी रमेश ने नकार दिया है. उनके शिलालेख पठन को स्वीकार कर लिया गया है.

15. आवेदकों का आगे यह कहना है कि माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के आगे ईस्वी सन 1600 से पहले संस्कृत या अन्य भाषा में लिखे यहां तक कि बाल्मीकि रामायण जैसे ऐसे किसी ग्रंथ का जिक्र तक नहीं किया गया, जिसमें इस बात का एक अनुच्छेद भी उल्लेख मिलता हो कि रामजन्म स्थल का जन्मस्थल होने की वजह से अयोध्याम का बड़ा महत्व था. इस वजह से इसकी पवित्रता थी. (आदेश के अनुच्छेद नंबर 4098 से लेकर 4091 तक.) इसे वीएचपी के वकील श्री एम.एम. पांडे ने बड़ी ही चतुराईपूर्वक स्वीकार किया है(अनुच्छेद नंबर 4092) (अनुच्छेद नंबर 4217 और अनुच्छेद नंबर 4355 अयोध्या में भगवान राम के मंदिर से जुड़ी मान्यता के संबंधित हैं) . हाई कोर्ट के सामने सिर्फ एक संदर्भ दिया जा सकता है, जिसमें तुलसीदास ने 'उत्तराखंड' अध्याय में राम जन्म महोत्सव देखने के लिए अपनी अवधपुरी यात्रा का वर्णन करते हैं. (अनुच्छेद नंबर 4354)

16. आवेदकों का आगे कहना है कि शिलालेखों और 16वीं सदी तक के ग्रंथों से साफ है कि अयोध्या में किसी खास जगह पर भगवान राम के जन्म का की प्रमाण नहीं है.

अबुल फजल की आईन-ए-अकबरी 1595 में लिखी गई थी. माननीय हाई कोर्ट के सामने इस ग्रंथ से जो उदाहरण पेश किया गया उसमें अयोध्या या अवध को राजा रामचंद्र की रिहाइश (बनगाह) के तौर पर पेश किया गया है न कि जन्म स्थल के तौर पर.

(text, Nawal Kishore d.' Lucknow, 1892, Vol II, p 78:

Jaretts translation, ed J. Sarkar, Calcutta, 1949, II, P. 182).

इसी तरह जब 1608-11 में विलियम फिंच ने अयोध्या आए थे तो माननीय हाई कोर्ट के निष्कर्ष के उलट (अनुच्छेद 4375) रामचंद्र के उस किले को कोई वर्णन नहीं किया था जहां रामचंद्र का जन्म हुआ था.

इसलिए रामजन्म स्थल के तौर पर विवादित स्थल की उत्पति 18वीं सदी की शुरुआत में हुई. 16वीं सदी के आखिर से पहले राम जन्मस्थल के बारें में न तो कोई ऐतिहासिक और न ही कोई साहित्यिक रिकार्ड है, जिससे हिंदू पक्ष के इस दावे को पुष्ट किया जा सके कि अनादि काल से ही विवादित भवन भगवान राम का जन्म स्थल के तौर पर स्थापित है.

17. आवेदकों का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने अपने फैसले के अनुच्छेद 4374 में कहा है कि अदालत को अपना निष्कर्ष सिर्फ अटकलबाजियों और कल्पना के आधार पर नहीं निकालना चाहिए. अदालत ने कहा- *हमें अयोध्या और भगवान राम की ऐतिहासिकता पर विचार नहीं करना है बल्कि यह पता लगाना कि जिस जगह को लेकर विवाद है वह हिंदुओं के विश्वास और परंपरा के मुताबिक भगवान राम का जन्मस्थल है या नहीं. हमें किसी गणितीय गणना के मुताबिक निष्कर्षों को रिकार्ड करना नहीं है. बल्कि हमें इसे संभावनाओं की अधिकता में देखना होगा. जैसा कि हम कह चुके हैं कि अगर भगवान राम अयोध्या में जन्मे होते तो कोई ऐसी जगह जरूरी होनी चाहिए जिसे इस उद्देश्य के लिए चिन्हित किया जा सके. मुस्लिम पक्ष के वादियों की ओर से यह नहीं कहा गया है कि विवादित जगह के*

अलावा भी अयोध्या में कोई और जगह है जिसे हिंदू लोग भगवान राम की जन्मस्थली मानते हैं. उन्होंने सिर्फ यह कहा है कि विवादित संपत्ति के उत्तर एक दूसरा मंदिर है जिसे जन्मस्थान मंदिर कहा जाता है. इसलिए यह भगवान राम का जन्म स्थल हो सकता है. लेकिन इस मंदिर की प्राचीनता सिर्फ 200-300 साल पहले की है मतलब यह कि 18 या 19 वीं सदी से पहले की नहीं है.

18.इस संदर्भ में सावधानी बरतने और अटकलबाजियों के आधार पर निष्कर्ष न निकालने की बात कहते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने इस फैसले में बिल्कुल इसके उलट रुख अपनाया है.

हमारा यह मानना है कि जब इस तरह की मान्यता एक खास बिंदु पर केंद्रित हो जाए और तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए तो हमें इसका कारण समझ में नहीं आता तो धर्म की अनिवार्यता से जुड़ कर चीजों को क्यों देखना चाहिए. इस मामले को एक अलग बुनियाद पर रखा जाना चाहिए. इस तरह के धर्म के अनिवार्य हिस्से को संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षण प्राप्त है.

आवेदकों का कहना है अगर स्वीकार्यता के बगैर भी यह मान लिया जाए कि विवादित संपत्ति भगवान राम का जन्मस्थल है तो भी यह उनके धार्मिक आचरण और धर्म का हिस्सा नहीं होगा. माननीय अदालत ने गलती यह की कि इसने सिर्फ मौखिक बयान पर विश्वास किया इसे ही ही उनके धर्म का जरूरी या मुख्य हिस्सा मान लिया.

19. सरकार की ओर से नियुक्त लिब्रहान आयोग की रिपोर्ट के इस अवलोकन में ज्यादातर भारतीयों की भावनाओं और विश्वास प्रतिबिंबित हुआ है. भले ही वो हिंदू क्यों न हों. लिब्रहान अयोध्या जांच आयोग को सरकार ने नियुक्त किया है और इसने जो सिफारिश की है वे विचार करने और स्वीकार करने योग्य है.

आवेदकों का कहना है कि वे अदालत से चाहेंगे कि उनके आवेदन पर विचार करने के वक्त लिब्रहान आयोग की सिफारिशों का ध्यान रखें.

www.cjp.org.in

20. इसमें कोई संदेह नहीं कि हिंदुत्व अपने समावेशी चरित्र के लिए जाना जाता है. इस मामले में आवेदकों समेत हिंदुत्व के इस चरित्र को जानने वाले बहुत सारे लोगों का मानना है कि 6 दिसंबर को जो हुआ, उस पर सबको शांति का आशीर्वाद देने वाले भगवान शंकर को भी आपत्ति होती.

यह कहा जा सकता है कि पूर्व ऐतिहासक काल में शासकों ने अपनी प्रजा के एक वर्ग को दूसरे वर्ग को मारने की अनुमति दी. धर्म में विश्वास करने वाले बहुतों के लिए राजा का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है जो अपने प्रजा के बीच सौहार्द और शांति बनाए रखे. – प्रजानम रंजनाथ राजा (ब्राह्मंड पुराण). हिंदू धर्म के राज्य शास्त्र के स्वीकार्य कामंदकीय नीतिसार के अध्याय पांच के श्लोक 82-83 में राजाओं/शासकों को चेतावनी दी गई है, राजा अपनी प्रजा को अपने करीबी और चहेतों से सुरक्षा प्रदान करे. राजा अपने लालच से प्रजा को बचाए रखे. प्रजा को धूर्त अधिकारियों, चोरों, राजा के दुश्मनों, राजसी परिवार के चहेतों और लोगों (जैसे रानियों, राजकुमारों) और सबसे ज्यादा खुद राजा के लालच से संरक्षण की जरूरत है. राजा को लोगों को इन डरों से बचा कर रखना चाहिए. इसके अलावा महाभारत के शांति पर्व (59-106/107) में शासकों से कहा गया है – आपको यह प्रतिज्ञा लेनी होगी कि मन, विचार और कर्म से आप इस विश्व में इस विशवास से शासन करेंगे कि सृष्टि ही सर्जक का अवतार है.

आवेदक नंबर 12 इस विश्वास के साक्षी रहे हैं. पुरस्कृत फिल्म राम के नाम में आवेदक नंबर 12 और लालदास की मुलाकात रिकार्ड किया गया है.30 अक्टूबर 1990 में यह मुलाकात हुई थी.

लालदास को अदालत ने विवादित राम-जन्मभूमि/बाबरी मस्जिद स्थल में मंदिर का पुजारी नियुक्त किया था. लालदास सहिष्णुता और दोनों पक्षों के बीच वार्ता के प्रबल समर्थक थे. इस पुजारी को कई बार जान से मारने की धमकी मिली. उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें दो बॉडीगार्ड दिए थे. उन्होंने इस मुलाकात के दौरान अयोध्या में समन्वय की संस्कृति का जिक्र किया और देश में हिंदू मुस्लिम की एकता में आ रही गिरावट पर दुख जताया. उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस देश में बुरी मंशा से धर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने देश में भारी नरसंहार की आशंका व्यक्त की लेकिन उम्मीद जताई कि यह दौर भी गुजर जाएगा और समाज में फिर से अमन-

चैन कायम हो जाएगा. पुजारी लालदास ने जिस भारी हिंसा की बात की थी वह सच साबित हुई. एक साल बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर के पेज एक छोटी खबर छपी 'विवादित पुजारी मृत मिले. पुजारी लालदास की देसी रिवाल्वर से गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. अखबार की खबर ने इस बात का खुलासा नहीं किया कि आखिर 'विवाद' क्या था. दरअसल सचाई यह थी कि इस निडर साधु को उस हिंदुत्व में विश्वास करते थे जो समन्वय की बात करता था और विभाजनकारी असहिष्णुता के बिल्कुल विपरीत था. उनके हत्यारों को अब तक नहीं पहचाना नहीं जा सका था और न ही उन्हें सजा दी जा सकी.

21. आवेदकों का कहना है भारत की आत्मा खतरे में है. विविधता खतरे में है. धर्म के नाम पर प्रचारित किए जाए रहे तत्व आज की बहुलता और विविधता पर हावी होते जा रहे हैं. भारतीय संविधान में बहुलता और विविधता को संरक्षित रखने का प्रावधान है. लिब्रहान आयोग के (Paras 158.2

and 158.3 Chapter I0, The Joint Common Enterprise, Report of

the Liberhan Ayodhya Commission of Inquiry, Pages 915- 918):

"158.2 में कहा गया कि अयोध्या अभियान को आम आदमी का समर्थन नहीं मिला. यहां तक कि समान्य हिंदुओं में भी इस अभियान के प्रति स्वैच्छिक सहमति नहीं थी. हालांकि यह अभियान उसे चुप कराने और यह सुनिश्चित करने में कामयाब रहा कि अगर इसका विरोध किया तो उसे नास्तिक और हिंदू विरोधी समझा जाएगा.

अगर उसने इस मामले को तर्क की निगाह से देखने की कोशिश की या अभियान के समर्थकों के कुप्रचार का जिक्र किया तो उसे देश विरोधी समझा गया.

158.4 आम आदमी को भावनाओं से प्रेरित करने और उसे अयोध्या में मंदिर निर्माण का हिस्सा बनाए जाने के लिए रैली और यात्राएं की गईं. जब तक बीजेपी इसका हिस्सा नहीं बनी थी तब तक ये सफल नहीं हुई थीं.

www.cjp.org.in

158.6 घटनाओं से साफ है कि इस तरह के आंदोलन के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है ,जैसे धन, वे संघ परिवार के संगठनों के खजाने से आया. इस तरह का पैसा ऐसे संगठनों के खातों से लोगों को दिया गया ताकि इस आंदोलन से जुड़े तमाम काम किए जा सकें.

158. अन्नाम स्त्रोतों से कैश आया. साथ ही कैश तमाम संगठनों तक ट्रांसफर किए गए. इन संगठनों ने इसे प्राप्त किया. आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने आंदोलन के नाम पर समय-समय लोगों से फंड इकट्ठा किया. ज्यादातर पैसा प्राप्त करने वाले संगठन थे राम जन्मभूमि न्यास, भारत कल्याण प्रतिष्ठान, विश्व हिंदू परिषद, श्री राम जन्मभूमि न्यास पादुका पूजन निधि, श्री राम जन्मभूमि न्यास श्री रामशिला पूजन, जन हितैषी और ओमकार भावे की ओर से संचालित खाते. महंत परमहंस रामचंद्र दास, नृत्य गोपाल दास, गुरजन सिंह, नारद शरण, आचार्य गिरिराज किशोर, विष्णु हरि डालमिया, नाना भागवत, जसवंत राय गुप्ता,बी पी तोशनीवाल, सीताराम अग्रवाल, अशोक सिंघल, रामेश्वर दयाल, प्रेम नाथ, चंपत्त राय और सूर्य कृष्ण, यशवंत भट्ट, अवधेश कुमार दास शास्त्री आदि को भी रामजन्म या अयोध्या आंदोलन के नाम पर चलाए जा रहे आंदोलन दौरान इकट्ठा फंड का हिस्सा मिला.

158.8 संक्षेप में कहें तो यह कहना पर्याप्त होगा जिस पैसे का लेनदेन हुआ वो दसियों करोड़ रुपये से ज्यादा था और इसका 6 दिसंबर,1992 की घटनाओं को प्रेरित करने में इस्तेमाल हुआ.

158.10, अयोध्या आंदोलन के नेताओं और संगठनों के प्रमुखों की ओर से किए गए इस दावे या थ्योरी पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि कारसेवकों ने फौरी गुस्से या भावावेश में विवादित स्थल का विध्वंस

www.cjp.org.in

किया. दरअसल, कार सेवकों का एक छोटा सा दल उस स्थल पर गुस आया था. इन लोगों ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां घुसाने के लिए वहां तोड़ फोड़ कर जगह बना ली. ये लोग कारसेवक थे जो आम लोगों के तौर पर यहां घुस आए. मूर्तियों और कैश बॉक्स से वहां हटाना और फिर अस्थायी (मेकशिफ्ट) मंदिर में स्थापित कर देना, अस्थायी मंदिर बना देना. विध्वंस के औजार और हथियार के साथ आना. इसके साथ ही अस्थायी मंदिर बनाने के औजार के घुसना और विवादित स्थल को तोड़े जाने से यह साबित हो गया कि इस विध्वंस की काफी पहले से विस्तृत योजना तैयार की गई थी. इतनी बड़ी संख्या में विध्वंस के लिए लोगों की ओर से कोई गुप्त योजना मुख्यमंत्री से नहीं छिप सकती थी. उन्होंने खुद स्वीकार किया था कि उनके पास 28 स्त्रोतों से सूचना थी. उन्होंने उस वक्त के एस सुदर्शन जो उस समय आरएसएस के प्रमुख थे, से भी सूचना मिलने की बात स्वीकारी थी. 6 दिसंबर 1992 को विध्वंस से पहले स्थानीय नेता विनय कटियार और अशोक सिंघल भी घटनास्थल पर मौजूद थे.

अध्याय

'हालात'

पैरा 87.25 पूरे मस्जिद आंदोलन का इस्तेमाल राजनीतिक ताकत हासिल करने के हथियार के तौर पर किया गया.

पैरा 87.26. संचार के विकसित होते साधनों ने हिंदुओं के बीच आंदोलन को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाई. साथ ही दूसरे पक्ष की भावनाओं की भड़काने में भी रोल अदा किया.

पैरा 87.27. दोनों संप्रदायों के बीच हालात बिगड़ते हुए गंभीर स्थिति में पहुंच गए. दोनों समुदायों के बीच दरार के को पूरी तरह पाटा नहीं

www.cjp.org.in

जा सकता लेकिन इन्हें कम जरूर किया जा सकता है. लेकिन स्वार्थी राजनीतिक हितों ने इन तनाव को कम नहीं होने दिया. उन्होंने हालात को और बिगाड़ा और दोनों समुदायों के बीच संबंध और खराब हुए. जब भी उन्होंने चाहा और परिस्थितियों की मांग बनी उन्होंने दोनों समुदायों के बीच सौहार्द को बिगाड़ा.

22. आवेदकों का कहना है कि इस मामले में असहमति के फैसले में कहा गया है- "मस्जिद बनाने के लिए कोई मंदिर नहीं तोड़ा गया. मस्जिद मंदिर के भग्नावशेष पर ही खड़ा किया गया जो मस्जिद तोड़े जाने से बहुत पहले ही छिन्न-भिन्न अवस्था में पड़ा था. इस मंदिर की कुछ सामग्रियां (वहां मौजूद) का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हुआ. वहां राम मंदिर तो छोड़िए किसी भी मंदिर का प्रमाण नहीं था. वह मंदिर कहीं नहीं था जिसे तोड़ कर मस्जिद बनाई गई थी. "

23. आवेदकों का यह भी कहना है कि एएसआई की रिपोर्ट से यह जाहिर नहीं होता कि वहां मंदिर तोड़ कर मस्जिद बनाई गई. वास्तव में जहां तक मस्जिद का सवाल है तो रिपोर्ट में पिलर और पिलर बेस के बारे में जिक्र है, जो वहां या तो जोड़े गए थे या फिर मस्जिद की सतह पर पड़े हुए थे. रिपोर्ट में कहीं भी विध्वंस की कार्रवाई का संकेत नहीं दिया गया है. रिपोर्ट संकेत करती प्रतीत होती है कि पिलर मस्जिद से मेल नहीं खाते.

24. आवेदकों का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट का तर्क सही नहीं है. हाई कोर्ट ने कहा था कि मुस्लिम दल अयोध्या में विवादित संपत्ति के अलावा और कोई जगह नहीं दिखा पाए, जहां राम का जन्म हुआ था. जिस पर हिंदू विश्वास कर सकें.इसलिए संभावनाओं की प्रचुरता का सहारा लिया गया. यह तर्क ठीक नहीं है. आवेदकों का यह कहना है

www.cjp.org.in

कि विश्वास और धार्मिक प्रोपगंडा ऐतिहासिक घटना और इस इस संदर्भ में स्थानीयता (रामजन्म भूमि) का निर्णायक नहीं हो सकता. अगर वाद में सच्चाई को साबित करने के लिए यही पर्याप्त था तो हाई कोर्ट को फिर ऐतिहासिक तथ्यों की जांच के लिए लंबी जांच करवानी ही नहीं चाहिए थी.

25. आवेदकों का यह कहना कि माननीय अदालत ने कर्नाटक वक्फ बोर्ड बनाम भारत सरकार (2004)10 SCC779 में निर्णय दिया था कि जहां तक दीवानी मामलों मे टाइटिल सूट का सवाल है तो ऐतिहासिक प्रमाणोंऔर दावों की कोई जगह नहीं है. बॉर्डर लाइन पर मौजूद ऐतिहासिक तथ्यों पर भरोसा गलत निष्कर्षों की ओर ले जा सकता है. उपरोक्त निर्णय के आलोक में यह साफ हो गया है अलग-अलग विवादास्पद ऐतिहासिक प्रमाणों पर टाइटिल सूट का फैसला नहीं होना चाहिए. धार्मिक विश्वासों और प्रोपगंडा के आधार पर निर्णय की तो बात छोड़ ही दीजिये.

26. आवेदकों का कहना है कि अयोध्या विवाद का मूल वहां 1949 में राम मंदिर की मूर्ति की स्थापना को लेकर है. यह काम 1949 विभाजन के भयानक दिनों के ठीक बाद हुआ था. 43 साल तक दोनों समुदाय इस जगह का इस्तेमाल साथ-साथ करते आए थे. लेकिन साफ तौर राजनीतिक कारणों से यह मुद्दा उठाया गया. इसका धर्म और विश्वास और यहां तक कि जगह के साझा इस्तेमाल से कोई लेना देना नहीं था. सिर्फ राजनीतिक मकसद से एक राजनीतिक पार्टी ने सीधे-सीधे भारतीय संविधान में मौजूद अनिवार्य धर्म निरपेक्षता पर सीधा हमला किया.

www.cjp.org.in

27. माननीय हाई कोर्ट इस मुद्दे पर कि क्या विवादित ढांचा यानी बाबरी मस्जिद किसी एक मंदिर पर बनाई गई है, पर विचार करने के लिए ,जिन ऐतिहासिक दस्तावेजों और रिकार्ड का आकलन किया उसके आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचा.

4055. आखिरी निष्कर्ष जो इस अदालत द्वारा उपरोक्त ऐतिहासिक प्रमाणों और दस्तावेजों के आधार पर निकाला गया है वो इस प्रकार है-

1. यह विवादित ढांचा किसी नई, कब्जारहित और खुली जगह पर खड़ा नहीं किया गया था.

2. विवादित स्थल पर एक ढांचा खड़ा था, जो विवादित मस्जिद से बड़ा तो नहीं तो नहीं लेकिन इसके बराबर जरूर था.

3. विवादित ढांचे का निर्माण कराने वाले को पुराने ढांचे का विवरण, इसकी ताकत, दीवारों के आकारों की क्षमता आदि के बारे में जानकारी थी. इसलिए उसने इन दीवारों के इस्तेमाल में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई. उसने बगैर किसी मरम्मत के पुराने ढांचे का इस्तेमाल किया.

4. पुराना ढांचा धार्मिक प्रकृति का था और वह गैर इस्लामी था.

5.पुराने ढांचे की सामग्रियां जैसे पत्थर, पिलर, ईंट और अन्य चीजें विवादित ढांचे को खड़ा करने में इस्तेमाल की गईं.

6. जो पुरानी कलाकृतियां खुदाई में मिली उनमें से ज्यादातर गैर इस्लामी यानी हिंदू धार्मिक स्थलों से जुड़ी हुई थीं. अगर हम यह मानें कि कुछ सामग्रियों का इस्तेमाल अन्य धर्मों में इस्तेमाल होते हैं तो ऐसा नहीं था. क्योंकि खुदाई में ऐसी कोई कलाकृति नहीं मिली थी, जिनका इस्तेमाल इस्लाम में होता है.

www.cjp.org.in

28. आवदेकों का कहना है कि आश्चर्यजनक तौर पर माननीय उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि असल स्थिति यह है कि मस्जिद की शक्ल में इस तरह के निर्माण के बावजूद यह हिंदुओं के दर्शन और पूजा के लिए इस्तेमाल की जाती रही. क्योंकि उनके विश्वास के आधार पर यह जगह भगवान राम का जन्मस्थली थी (पैरा नंबर 4058)। इसके बावजूद इस दावे को पुष्ट करने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत या रिकार्ड पेश नहीं किया गया. माननीय उच्च अदालत ने मौखिक प्रमाणों और हिंदू समुदाय के गवाहों पर काफी ज्यादा निर्भरता दिखाई.

29. आवेदकों का कहना है कि विवादित स्थल पर कब्जे और प्रति कब्जे के संदर्भ में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो निष्कर्ष है वह यह कि हिंदू और मुस्लिमों का संयुक्त रूप से अंदरुनी आंगन समेत गुंबद वाले ढांचे पर कब्जा रहा. जबकि बाहरी आंगन विशेष तौर पर हिंदुओं के कब्जे और इस्तेमाल (निर्मोही अखाड़े) के कब्जे में रहा. तथ्यात्मक आयामों में इस बात पर विचार करने के बाद माननीय हाई कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचा (पैरा नंबर2620) वह इस तरह है- इसके अतरिक्त वास्तविकता यह है कि विवादित जगह पर हिंदुओं का दर्शन और पूजन के लिए आना बरकरार रहा. वादी के भगवानों का धार्मिक स्टेटस बरकरार रहा. हमारे पास यह तथ्य है कि मस्जिद के तौर पर इमारत के निर्माण के बावजूद हिंदुओं ने लगातार यहां पूजा की. लेकिन हमारे पास किसी भी तरह का कोई जिक्र नहीं है कि मस्जिद के निर्माण और फिर 1856-57 तक मुस्लिम भी वहां बराबर नमाज पढ़ने के लिए जाते रहे. 1860 तक वहां हमें ऐसी कोई चीज नहीं मिली, जो इस संबंध में मुस्लिम पक्ष के दावों को पुष्ट कर सके. दूसरी ओर, जहां तक विवादित ढांचे में हिंदुओं के पूजा करने का जिक्र है तो कम से कम दो ऐसे

दस्तावेज हैं, जहां इस तथ्य को नोटिस और स्वीकार किया गया है. इसमें कोई विरोधाभास नहीं है.

30. इसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने प्रति कब्जे के मुद्दे को चार हिस्सों में बांट दिया – 1. 1528 ईस्वी से पहले 2. 1855 ईस्वी से पहले. 3. 1855 से 1934 तक. 5. 1934 से 22/23 दिसंबर 1949 तक. हिंदू पक्ष ने दावा उनका इस संपत्ति पर अनादिकाल से और कम से कम 1934 से तो कब्जा है ही. उनका कहना था कि 1934 और इससे पहले से कभी इस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गई. इसलिए मुस्लिम पक्ष की ओर से की इस विवादित जमीन पर हिंदुओं के कब्जे को नहीं छेड़ा जा सकता. इसके लिए एक समय सीमा थी. उस दौरान अगर मुस्लिमों ने यहां से दावा नहीं हटाया है तो अब इस जमीन पर हिंदुओं के कब्जे में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती. इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि यह विवादित जगह भगवान राम की जन्मस्थली होने की वजह से देवता है. दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष ने दावा किया है कि 1528 में जब मीर बाकी ने यह मस्जिद बनवाई तभी से उनके पास इसकी 33 चीजें हैं और वे 16.12.49 तक यहां लगातार नमाज पढ़ते रहे.

31. प्रति कब्जे की याचिका हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ने उठाई है. माननीय हाई कोर्ट ने इस पर फैसला करते हुए यह माना कि मुस्लिम समुदाय यह साबित नहीं कर पाया कि मस्जिद 1528 में बनाई गई थी. इसलिए 1528 से मस्जिद पर कब्जे का सवाल ही नहीं उठता. माननीय हाई कोर्ट ने माना कि मुस्लिम पक्ष इस बात का कोई सबूत या रिकार्ड नहीं दे पाए कि 1985 से पहले मस्जिद उनके कब्जे में थी. (पैरा नंबर 2989). हाई कोर्ट की नजर में यह साबित नहीं हो पाया

कि मस्जिद 1528 में बनाई गई थी. लेकिन आवेदकों का कहना है कि माननीय हाई कोर्ट का यह नजरिया गलत है.

32. आवेदकों का कहना है कि हाई कोर्ट ने इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि वास्तु की स्टाइल, खास कर बाबर और ओरंगजेब के शासन काल के बीच मस्जिद की वास्तु शैली में काफी अंतर आया. इसे आसानी से साबित किया जा सकता है. वास्तु शैली और इस्तेमाल तकनीक यह आसानी से बताया जा सकता है कि यह मस्जिद मुगलों से पहले की है या शुरुआती मुगल दौर की. बाबरी मस्जिद को इसकी वास्तुकला की शरकी शैली के लिए जाना जाता है. (जैसा कि जौनपुर में देखा जाता है)। गुंबद हालांकि बड़ा है लेकिन यह चपटा और भारी है. यह वास्तु शैली इसके बाद यानी औरंगजेब के समय से काफी पहले चलन से बाहर हो गई थी. बाद में हल्के गुंबद, मुक्त खड़ी मीनारों के साथ मस्जिदों की पहचान बन गए. यह मानना मुश्किल है कि औरंगजेब या उसके बाद बनी मस्जिद में वही डिजाइन और तकनीक दिखेगी, जो बाबरी मस्जिद में दिखी थी. हमारा मानना है कि माननीय हाई कोर्ट ने इस तथ्यात्मक पहलू की पूरी तरह अनदेखी की है

33. हमारा कहना है कि विवादित संपत्ति के लेकर चले मुकदमे में असहमति वाले फैसले में एएसआई की रिपोर्ट, 2003 की निष्कर्षों की ओर ध्यान दिलाया गया है. इसमें ढांचे की निरंतरता की बात की गई है. कहा गया है कि अगर मंदिर गिराई गई होगी तो भी इसकी सामग्री जमीन के अंदर नहीं जा सकती क्योंकि इसकी सामग्री का इस्तेमाल मस्जिद बनाने में हो जाना चाहिए था. लेकिन इन तथ्यों के उलट धार्मिक विश्वास और मान्यताओं के तर्क को आगे बढ़ाया गया.

www.cip.org.in

34. आवेदकों का यह भी कहना है कि माननीय हाई कोर्ट ने मुकदमे वाली संपत्ति के दावे पर विचार करते समय मुस्लिमों के कब्जे के संबंध में फैसला करते हुए गलती की. 1855 से पहले संपत्ति पर कब्जे को लेकर फैसला करते हुए गलती की गई. हाई कोर्ट की ओर से कहा गया कि 1856-57 से , विवादित जमीन पर बंटवारे की दीवार उठाने से पहले मुस्लिमों के पास बाहरी आंगन में मौजूद इमारतों का कब्जा नहीं था. माननीय हाई कोर्ट ने उन दस्तावेजों, इतिहास की किताबों से लिए गए संदर्भों और हिंदुओं के भरोसे वाली किताबों में उन सबूतों पर गौर नहीं किया जिनसे यह अच्छी तरह स्थापित हो जाता है मुस्लिमों का न सिर्फ मस्जिद के ऊपरी हिस्से पर नियंत्रण था बल्कि बाहरी आंगन भी उनके कब्जे में था. हालांकि उसमें वह 17 गुना 21 फीट का वह चबूतरा शामिल नहीं था जो 1857 के आसपास बनाया गया था.

35. आवेदकों का कहना है हाई कोर्ट मानता है कि विवादित इमारत जिस नजूल जमीन पर वह नजूल प्लॉट नंबर 583 है. वह 1931 का यह खसरा मोहल्ला कोट रामचंद्र का है. जिसे रामकोट कहा जाता है. यह जमीन शहर अयोध्या, रामकोट के तहत आती है. इसे 1861 के सेटलमेंट में पहली बार नजूल जमीन के तौर पर दर्ज किया गया. और यह इस रूप में रिकार्ड में तब तक जारी रहा जब तक विवादित जमीन पर वाद दाखिल नहीं हो गया. (पैरा 4428).

35. नजूल की जमीन राज्य सरकार की होती है और इसका प्रबंधन गवर्नमेंट ग्रांट्स एक्ट 1895 और नजूर नियमों से होता है. आवेदकों का कहना है कि इस तथ्य के बावजूद विवादित जमीन 1861 से ही नजूल जमीन के तौर पर दर्ज है. उत्तर प्रदेश राज्य कानूनी तौर पर उक्त संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता था. और दोनों समुदायों की ओर से इस पर दावे के लिए किए जा रहे मशक्कत और खूनखराबे को रोक

www.cjp.org.in

सकता था. इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य एक मात्र निकाय है जिसका संपत्ति पर साफ अधिकार है. लेकिन जमीन पर दावे को चुनौती न देने का उत्तर प्रदेश का अजीबोगरीब रुख आश्चर्य पैदा करता है. ऐसा न किए जाने पर ही संपत्ति के ऊपर यह विवाद पैदा हुआ है. इसी रुख की वजह से इस मामले में ठीक से फैसला नहीं हो सका और इसने जमीन के कब्जे और जवाबी कब्जे के बीच सांप्रदायिक तनाव और झगड़े का रास्ता खोल दिया. आवेदकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश के इस रवैये की वजह से एक अशांत क्षेत्र में सामाजिक तानेबाने को और चोट पहुंची. यूपी का यह इलाका भारतीय संघ के सबसे पिछड़े इलाकों में से एक है और बगैर किसी कारण के सरकार का इस मामले में पैसा खर्च समझ नहीं आता. संपत्ति पर कब्जे के मुकदमे में दोनों पक्ष जीजान से लड़ रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट के तथ्यों को देखें तो पहली नजर में उत्तर प्रदेश राज्य का इस पर साफ हक बनता दिखता है.

37. आवेदकों का कहना है कि न तो हिंदू समुदाय और न मुस्लिम समदाय ने विवादित जमीन पर अपना दावा साबित किया है. दोनों समुदायों में से किसी ने भी ऐसा ठोस सबूत पेश नहीं किया है, जिससे उसके दावे की पुष्टि हो सके. मुस्लिम समुदाय का जोर इस बात पर है मस्जिद 1528 ईस्वी में बनाई गई और तब से यह मुस्लिम समुदाय के निर्बाध तरीके से इसके कब्जे में रही. जबकि हिंदुओं का कहना है कि अनादि काल से उनका इस जगह पर कब्जा है लेकिन कोई भी पक्ष यह साबित नहीं कर सका है कि अंतिम रूप से इस पर अपना दावा साबित नहीं कर सका है. इसके अलावा हाई कोर्ट जिस निष्कर्ष पर पहुंचा है वह यह हिंदुओं और मुस्लिमों दोनों का गुंबद वाले ढांचे समेत अंदरुनी आंगन में संयुक्त कब्जा रहा है. बाहरी आंगन पर सिर्फ हिंदुओं का कब्जा रहा है और और वही इसका इस्तेमाल करे रहे हैं इसलिए सभी तीन पक्ष

(मुस्लिम, हिंदू और निर्मोही अखाड़ा) इस जगह के अधिकारी घोषित किए गए. हर पक्ष एक-एक तिहाई का अधिकारी है. आवेदक विनम्रतापूर्वक यह कहना चाहते हैं कि विवादित जमीन पर कब्जे के संबंध में जब हाई कोर्ट किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है तो ऐसे में इस विवाद से संबंधित पक्ष में किसी एक को यह विवादित जमीन सौंपने से दूसरे दो पक्षों में नाराजगी पनपेगी और यह आखिरकार समाज के लिए नुकसानदेह होगा. इससे सांप्रदायिक तनाव पैदा होगा और अंततः देश की एकता के लिए यह नुकसानदेह साबित होगा.

38. हाई कोर्ट के फैसले से ऐसा प्रतीत होता है कि अदालत ने इस मामले का राजनीतिक समाधान सुझाया है. जबकि फैसला पूरी तरह तथ्यों और कानून के आधार पर होना चाहिए था. आवेदक वक्फ बोर्ड के दावे के साथ हुए सुलूक की ओर से ध्यान दिलाना चाहते हैं. वक्फ बोर्ड का दावा खारिज कर दिया गया. हालांकि बोर्ड को एक तिहाई जगह दी गई. लेकिन अगर दावा खारिज कर दिया जाए तो फिर किसी कानूनी हक के लिए कदम उठाया ही नहीं जा सकता. आवेदकों का कहना है कि इस तरह के दावे को खारिज करके राहत देने का मतलब कानून के दायर से बाहर हल मुहैया करना है.

39. आवेदकों का कहना है कि एक के बाद एक सरकारें ने अपने दो कर्तव्यों को भूल चुकी हैं. एक – कानून के शासन की स्थापना और दूसरा- किसी विवाद के मुद्दे का हल ज्यूडीशियरी को सौंप कर अपने कर्तव्य से पीछे हटना. हाई कोर्ट की ओर से सभी पक्षों को शांत करने की कोशिश का असर यह है कि यह विवाद अनसुलझा हुआ है. इसका यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि सिर्फ कुछ वास्तविक और काल्पनिक अधिकारों के आधार पर एक पुराने ढांचे को नुकसान पहुंचाना बिल्कुल सही था. और वो भी कानून को अपने हाथ में लेकर.

www.cjp.org.in

40. आवेदकों का कहना है कि विवादित जमीन का मामला धार्मिक मुद्दा था और यह सिर्फ अयोध्या के स्थानीय दायरे में ही सीमित था. इसमें 1980 के बाद ही राजनीतिक दलों ने शामिल होने की शुरुआत की और फिर यह अयोध्या के स्थानीय दायरे से बाहर निकल गया.

41. आवेदकों का यह कहना है कि लिब्रहान कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक 1528 में मुगल बादशाह बाबर ने अपने सिलहसालार मीर बाकी को अयोध्या में एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया. इसके बाद ब्रिटिश शासकों ने इस मस्जिद के इलाके को दो हिस्सों में बांट दिया. एक हिस्से में बाबरी मस्जिद और दूसरे हिस्से में 'सीता की रसोई' और 'राम चबूतरा', जहां हिंदू पूजा करते थे. इस तरह दोनों ही समुदाय विवादित जमीन पर अपने-अपने धार्मिक कर्मकांड करते थे. हालांकि वक्त के साथ और एक के बाद एक घटनाओं के बाद इस संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ते गए. एक तरफ इस विवाद पर अदालत में मुकदमों पर सुनवाई हो रही थी तो दूसरी ओर देश सांप्रदायिक दंगों की आग में झुलस रहा था. हिंदू और मुस्लिमों के बीच विभाजन बढ़ रहा था.

42. आवेदकों का कहना है कि हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दोनों समुदायों के सत्ता में बैठे में इलिट ने बढ़ावा दिया. और 1947 में देश के विभाजन के साथ पाकिस्तान बनने के बाद यह प्रक्रिया और तेज हो गई. बाबरी मस्जिद में आने वालों की कुछ छोटी-मोटी शिकायतों और बाबरी मस्जिद को किसी खतरे की आशंका की वजह विवादित जमीन पर एक एक पुलिस चौकी स्थापित कर दी गई. 22/23.12.1949 को 50 से 60 लोगों की एक भीड़ दीवार तोड़ कर मस्जिद में घुस गई और गर्भ गृह में राम लला की मूर्ति रख दी. इस मामले में एक एफआईआर दर्ज करा दी गई. लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट में इस बात का रिकार्ड है कि तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से मस्जिद में मूर्ति रखवाने का

www.cjp.org.in

काम गैरकानूनी था. मजिस्ट्रेट का यह काम माहौल को तनावपूर्ण बनाना और आगे की दंगों की जमीन तैयार करना था. डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ओर से इस समस्या का एक मात्र समाधान यह था इस मामले में दोनों पक्ष अदालत के बाहर मामला सुलझा लें. मजिस्ट्रेट ने दूसरी तरह की आशंकाएं भी व्यक्त की. उन्होंने कहा था कि अगर वहां से मूर्तियां हटाने की कोशिश की गई तो हजारों हथियार लाइसेंस धारी हत्याएं करने और पुलिस का समर्थन करने के लिए तैयार हैं. इस तरह उक्त संपत्ति को 1949 से ही विवाद शुरू हो गया था. अलग-अलग मशीनरियों की ओर से चूक और उनकी गलतियां आखिरकार मस्जिद के विध्वंस में तब्दील हो गईं.

43. आवेदकों का यह कहना है कि विवादित जमीन के मामले को 1980 के दशक में हवा दी गई जब विश्व हिंदू परिषद अपने सहयोगी संगठन संघ परिवार के साथ मिल कर इस देश की 83 फीसदी आबादी की परिकल्पनाओं पर कब्जा करने की कोशिश कर रही थी.

(From Chapter 3, Sequence of Events. The Emergence of the Sangh Parivar, Paras 22.1 to 24.4, Pages 78-84, of the Liberhan Ayodhya Commision of Inquiry).

आवेदकों को यह जान कर झटका लगा कि 1984 की धर्म संसद (पुरोहितों की संसद) ने 3000 ऐसी जगहों की पहचान की जहां हिंदू और मुस्लिमों के बीच विवाद की संभावना हो सकती थी और जिसके आधार पर हिंदू भावनाओं को भड़काया जा सकता था और हिंदुओं का ध्रुवीकरण हो सकता था. जिन जगहों को चिन्हित किया गया था उनमें अयोध्या काशी और मथुरा शामिल थे. धर्म संसद ने राम मंदिर/बाबरी मस्जिद की जगह से अपने एजेंडे की शुरुआत का फैसला किया. भारतीय

www.cjp.org.in

जनता पार्टी ने इस संबंध में 1989 में पालमपुर के अपने अधिवेशन में एक प्रस्ताव भी पारित किया था. जिसमें अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण और इससे जुड़े अन्य कार्यक्रमों को समर्थन देने का फैसला किया गया था.

(From Para 24.4 (Chapter 3) and Paras 27.5 to

27.19, Chapter 4, Pages 95-102, The Sequence of Events,

Reports of the Liberhan Ayodhya Commission of Inquiry).

आवेदकों का कहना है कि 1980 के बाद वीएचपी ने साधु-संतों को साथ उक्त जमीन पर मंदिर का ताला तुड़वाने का आंदोलन चलाना शुरू कर दिया. उस दौरान विश्व हिंदू परिषद ने 50,00,000 रामभक्तों और बलिदानी लोगों के समूह का कैडर खड़ा करने का फैसला किया और कहा कि अगर 8 मार्च, 1986 तक मंदिर का ताला नहीं खोला गया तो देश के संत जबरदस्ती इसका ताला तोड़ देंगे. मंदिर का ताला खोलने के लिए बाकायदा औपचारिक अभियान शुरू किया गया. 21.01.1986 को उमेश चंद्र पांडे नाम के शख्स ने इस संबंध में अदालत में याचिका दी. इसकी सुनवाई की तारीख बढ़ाई गई और आखिरकार यह रद्द हो गई. 01.02.1986 को एक याचिका दायर कर सुनवाई की तारीख आगे न बढ़ाने की अपील की गई. याचिका की सुनवाई फैजाबाद के जिला जज ने की और उक्त संपत्ति (विवादित जगह) पर लगा ताला खोल दिया गया. ताला खोलने से 36 साल का पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई. इस व्यस्था ने भक्तों को मस्जिद के अंदर मूर्ति रखने से रोक रखा था. इसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और कानून-व्यवस्था बिगड़ने से पैदा हालातों को

संभालने का निर्देश दिया गया. लेकिन रिपोर्ट के मुताबि, आश्चर्यजनक रूप से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कोर्ट से कहा कि ताला खोलने से कानून-व्यवस्था की स्थिति को कोई दिक्कत नहीं होगी. तत्कालीन मुख्यमंत्रीर कल्याण सिंह ने स्वीकार किया था कि स्थिति तनावपूर्ण थे और अजमेर और मुज्जफरनगर में दंगे हो रहे थे. इससे परमहंस रामचंद्र दास को मार्च निकालना पड़ा.

44. लगता है कि स्थानीय प्रशासन को अदालत के फैसले के बारे में पहले से ही जानकारी थी. शायद इसलिए फैसला आने के कुछ ही घंटों में ताला खुल गया. दूरदर्शन ने उन दृश्यों को दिखाया जब रामभक्त ताला खुलने के बाद मंदिर के अंदर घुसे.

45. आवेदकों का कहना है कि 1986 के बाद विश्व हिंदू परिषद ने देश भर से राम शिला इकट्ठा कर अयोध्या में मंदिर की बुनियाद रखने के लिए आंदोलन चलाया. इसके साथ तनाव की शुरुआत हो गई. जल्द देश भर के गांवों में राम मंदिर के नाम पर ईंटें इकट्ठा करने का अभियान शुरू हो गया. कहा गया कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद की जगह पर भव्य राम मंदिर बनाया जाएगा. अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का अभियान अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाया गया और सुदूर देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को इससे जोड़ा जाने लगा. इस माहौल में वरिष्ठ बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी ने रथयात्रा निकाली. जिसे अग्नि रथ यात्रा कहना ही ठीक होगा.

46. ऐसे तनावपूर्ण माहौल में जिसकी परिणति बाबरी विध्वंस में हुई थी.उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट में शिलान्यास रोकने के लिए ए याचिका दायर की गई. हालांकि इलाहाबाद हाई कोर्ट हालात की गंभीरता समझने

में नाकाम रहा और अपने 14.08.1989 को अपने आदेश कि जरिये इस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया.

(From Para 27.16 at 27.5 to 27.19, Chapter 4, Pages

95-102, The Sequence of Events, Reports of the Liberhan

Ayodhya Commission of Inquiry)

47. लिब्राहन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर श्री वीएम तारकुंडे ने माननीय हाई कोर्ट के समक्ष एक रिट पिटीशन दायर की थी. उन्होंने भी अयोध्या में शिलान्यासके खिलाफ रोक लगाने की मांग की. यह याचिका कोर्ट के 27.10.1989 के आदेश के जरिये खारिज कर दी गई.

(From Para 27.25 Chapter 4, The Sequence of Event of the Liberhan

Ayodhya Commision on Inquiry)

अदालत 20.3.1989 को बाबरी मस्जिद के संभावित विध्वंस के खिलाफ रोक लगाने की मांग अदालत में खारिज कर चुकी थी. अदालत ने यह कह कर यह याचिका खारिज की थी कि उसे बाबरी मस्जिद को ध्वंस करने का कोई इरादा नहीं दिखता. विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल और सरकार की ओर से काम कर रहे बूटा सिंह के बीच एक लिखित समझौता हुआ. इस समझौते के मुताबिक विश्व हिंदू परिषद को शांति बनाए रखनी थी. कोई भड़काऊ भाषण नहीं देना था और सांप्रदायिक सौहार्द कायम रखना था. साथ ही उसे हाई कोर्ट के आदेश का भी सम्मान करना था. हालांकि यह शिलान्यास और कुछ नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा था.

(From Paras 27.29 -27.32 Chapter 4, Page 105, The Sequence of Event of the Liberhan Ayodhya Commision on Inquiry)

आवेदकों का कहना है कि बढ़ते तनाव की वजह से डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने 11.9.1989 के आदेश के जरिये कारसेवकों पर रोक लगा दी थी. लेकिन संघ द्वार के निर्माण कार्यक्रम की वजह से सांप्रदायिक दंगे हुए.

(From Paras 28.4, Chapter 4, Page 110, The Sequence of

Event of the Liberhan Ayodhya Commision on Inquiry)

एक साल बाद 25.09.1990 को एल के आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथयात्रा की घोषणा की.रिकार्ड बताते हैं कि एल के आडवाणी ने 14.9.1990 को केंद्र सरकार को चेतावनी दी थी कि चेतावनी दी थी कि अगर सरकार ने रथ यात्रा रोकने की कोशिश की बीजेपी सरकार से अपना समर्थन वापस ले लेगी. पूरी रथ यात्रा के दौरान भड़काऊ भाषण दिए गए और प्रमोद महाजन, बाल ठाकरे, चंदर दीक्षित, अशोक सिंघल जैसे नेताओं ने बार-बार चेतावनी दी कि अगर यात्रा में किसी तरह की बाधा खड़ी की गई तो खतरनाक नतीजे होंगे. यहां यह नोट करना उचित होगा कि लिब्राहन अयोध्या आयोग में यह दर्ज किया गया है कि इन नेताओं ने दोमुंहे बयान दिए. उन्होंने बनावटी भाषा और शब्दाडंबरों और बड़ी चतुराई से अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग बयान जारी किए. रथ यात्रा के बाद सांप्रदायिक हिंसा का पूरा दौर चला.

(From Chapter 4, The Sequence of

Events, pages 58- 284 Report of the Liberhan Ayodhya Enquiry

Commission.)

www.cjp.org.in

49. आवेदकों का कहना है कि गैरकानूनी ढंग से ढांचा को गिराए जाने बाद के हालात का ब्योरा 1 जनवरी 1993 को पत्रिका फ्रंटलाइन में छपा. हेडलाइन थी 'Wounds all over — The violent aftermath'.

इसमें कहा गया था यह इतिहास में आजादी के बाद से बड़े पैमाने पर फैली हिंसा की सबसे बड़ी घटना के तौर पर दर्ज हो सकता है. बाबरी मस्जिद विध्वंस यानी रविवार की काली रात के बाद एक ही सप्ताह में देश भर में सांप्रदायिक हिंसा में 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. महाराष्ट्र और गुजरात जल उठे. वहां भारी रक्तपात हुआ. सांप्रदायिक हिंसा में एक ही सप्ताह में 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई. मुंबई और सूरत में अराजकता छा गई जहां मरने वालों की संख्या क्रमशः 191 और 155 थी. अयोध्या में विध्वंस के पांचवें दिन के भीतर मौत का यह तांडव हो गया. मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम और कर्नाटक भी सांप्रदायिक हिंसा की आग में जल रहा था. लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पश्चिम बंगाल में शुरू में मोटे तौर पर शांति रही. लेकिन बाद में कोलकाता और नजदीकी जिलों में हिंसा हुई.

50. आवेदकों का कहना है कि उपरोक्त विवाद के हाई कोर्ट में लंबित होने के बावजूद माननीय अदालत ने यह आदेश दिया कि इस मामले में यथास्थिति बनाई रखी जाए. कोर्ट के सामने एक अंडरटेकिंग दी जाए कि इस संबंध में जो घटनाएं हुईं और जिस तरह से उन्हें अंजाम दिया गया, उसमें कोई भी शांति और एकता को बरकरार नहीं रख सका. न तो अयोध्या में और न देश में. अयोध्या की घटना की वजह से पूरे देश में दंगे और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा हुई. देश के बड़े हिस्से में यह हिंसा हुई.खास कर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक में भी. आवेदकों को यह भी आशंका है कि अगर बगैर तथ्यों पर विचार

www.cjp.org.in

किए हाई कोर्ट ऊपर उल्लिखित अपीलों की सुनवाई करता है तो समाज में अशांति और सांप्रदायिकता फिर फैल सकती है.

51. मुंबई, जहां से इस आवेदन के ज्यादातर अपीलकर्ता ताल्लुक रखते हैं और यहां के रहने वाले हैं. वह मार्च 1993 में सीरियल बम ब्लास्ट का शिकार रहा है. इस बार में जस्टिस बीएन श्रीकृष्णा आयोग (बांबे हाई कोर्ट के तत्कालीन जज के तौर पर) ने सीरियल बम ब्लास्ट की जांच के लिए बने आयोग का नेतृत्व किया था. उन्होंने इन शब्दों में इन घटनाओं को जिक्र किया था – 'दिसंबर 1992 में पांच दिनों के लिए (6 से 10 दिसंबर, 1992) और फिर जनवरी, 1993 में 15 दिनों के लिए (6 से 20 जनवरी, 1993) इस देश का प्रमुख महानगर बांबे (मुंबई) दंगों और हिंसा से घिरा रहा. अभूतपूर्व हिंसा और उग्र माहौल का दौर था. जैसे मुंबई में शैतानी ताकतों को छोड़ दिया गया हो. सद व्यवहार और मानवीय मूल्य खत्म हो गए थे. पड़ोसियों ने पड़ोसियों की हत्या कर दी. घरों में तोड़फोड़ की गई. ये जला दिए गए और लूट लिये गए. उस दौर में कार्ल मार्क्स का कथन याद आ रहा था कि धर्म लोगों के लिए अफीम की तरह है.

52. आवेदकों का यह कहना है कि जो विवाद हाई कोर्ट में लंबित है उसकी वजह से दोबारा हिंसा और सांप्रदायिक तनाव नहीं फैलेगा, इसकी गारंटी नहीं दी जा सकती. इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह विवाद सिर्फ इस मामले में वादी और प्रतिवादी के बीच का मामला है. वादी और प्रतिवादी देश में मौजूदा अलग-अलग समुदाय के एक बड़े हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनके लिए यह विवाद और पेचीदा और संवेदनशील हो गया है. इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मौजूदा दौर के अशांत माहौल में अगर इस मामले में फैसला सुनाया गया तो देश में अशांति और हिंसा का माहौल

फिर पैदा हो सकता है. इस बात की भी संभावना है कि ऐसे तत्व मौजूद हैं जो मौजूदा विवाद का अपने हित साधने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. हिंसा या सांप्रदयिक अशांति फैली तो बेकसूरों की जान जा सकती है. इसलि कोर्ट का इस पहलू पर विचार करना बेहद अहम है.

कोर्ट पहलू पर गौर करे कि मौजूदा अपीलों में जो बात कही गई है वह वादी और प्रतिवादी के बीच सिर्फ प्रॉपर्टी का विवाद नहीं है. इससे कई और मुद्दे भी जुड़े हैं, जिनका देश के धर्मनिरपेक्ष तानेबाने पर व्यापक असर पड़ सकता है.

53. आवेदकों का कहना है कि 19 अप्रैल, 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आठ जिम्मेदारों के खिलाफ दोबारा से आरोप को पुनर्जीवित किया ताकि एक पूजा स्थल तोड़ने के खिलाफ उन पर आपराधिक मामला दर्ज किया जा सके. आवेदकों का कहना है कि कम से कम इस मामले में इन लोगों के खिलाफ अदालत में मुकदमा चले और कोर्ट की कार्रवाई दो साल में पूरी हो जाए. इस मुकदमे से कानून के शासन की बुनियाद में लोगों का विश्वास जगेगा.

54. बहरहाल, पब्लिक इंटेल्कुचलअल्स, कार्यकर्ताओं और विवेकशील नागरिकों ने यह सुनिश्चित करने के लिए मामले में हस्तक्षेप किया है कि अयोध्या मामले से समाज में जो विवाद और विभाजन पैदा हुआ है वह भारत की बुनियाद को न हिलाए. अयोध्या में जब एक ढांचे को गिराया गया तो यह भारत एक स्वतंत्र देश के तौर पर 45 साल का हो गया था. अयोध्या में विध्वंस अनायास नहीं हुआ था. यह सुनियोजित विध्वंस था. हजारों लोगों के सामने और कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले एजेंसियों और पुलिस के सामने 400 साल पुरानी एक मस्जिद 6 दिसंबर

1992 को गिरा दी गई. इस तरह की साजिशों से पता चलता है कि भारतीय गणतंत्र और संविधान धर्मनिरपेक्ष बुनियाद हमेशा निशाने पर रही है. लेकिन यहां यह दोहराना जरूरी है कि भारतीय संविधान कानून के शासन और समानता के प्रति प्रतिबद्ध है. इसलिए आवेदकों ने अदालत में इस अपील के जरिये यह हस्तक्षेप किया है.

55. आवेदकों का कहना है कि दुर्भाग्य से सेक्यूलरिज्म का हर राजनीतिक दल और जन समूह किसी न किसी रूप से दोहन कर रहा है. मुस्लिम सेक्यूलरिज्म के नाम से विशेष सुविधा की मांग कर रहे हैं. हिंदू उन चीजों का पुर्नसंस्करण चाह रहे हैं जो उनकी राजनीतिक कल्पना में कहीं न कहीं गहरे धंसी हैं. हाई कोर्ट के सामने जो मुद्दे हैं वह एक नागरिक विवाद का हिस्सा है. हमारा मानना है कि हाई कोर्ट ने इससे जुड़े संवैधानिकता के मुद्दों को नहीं सुलझाया है. इस मामले में कोई भी पक्ष अपने तर्क साबित नहीं कर सका है. ऐसा लगता है कि हाई कोर्ट की ओर से इस मामले का सेक्यूलर हल निकालने की कोशिश ने सांप्रदायिक के घावों को हरा कर दिया है.

56. इन सभी मुद्दों पर विचार करने के बाद आवेदकों का विनम्रतापूर्वक कहना है कि माननीय अदालत धर्मनिरपेक्षता और कानून के शासन के उच्च आदर्शों को बरकरार रखे. अदालतों में यह गैर बराबर लड़ाई बन चुकी है क्योंकि कुछ ताकतों की ओर से इस भयंकर और विभाजनकारी आंदोलन को हवा दी जा रही है. पूरे भारत में युवा और लाखों बेजुबान लोग जानबूझ कर थोप दिए गए एक संघर्ष को खत्म होते देखना चाहते हैं. आज भारत में एक ऐसी स्थिति चाहते हैं जिनमें लोग, वर्ग, जाति, लिंग और समुदाय के संकीर्ण दायरों से ऊपर उठ जाएं और इस जगह को गैर धार्मिक रचनात्मक काम के लिए दे दें.

www.cjp.org.in

57. देश तीन दशक से इस विवाद का बंधक बना हुआ इस विवाद में साथ-साथ शांतिपूर्ण तरीके से रहते आए इस देश के लोगों की बिल्कुल भी सुनी नहीं जा रही है. बड़े पैमाने पर उनकी आवाज अनसुनी है. उनके प्रतिनिधि के तौर पर यह छोटा समूह चाहता है कि देश में अमन चैन कायम रहे और देश में विभिन्न समुदाय तरक्की करें.

58. आवेदकों का यह भी कहना है विवाद की प्रकृति की वजह से माननीय हाई कोर्ट इस मामले में कम से कम सात जजों की बड़ी बेंच गठित कर सकता है. क्योंकि इस मामले में कुछ संवैधानिक सवाल उठने लाजिमी हैं. इस मामले में माननीय हाई कोर्ट द्वारा इस्माइल फारुकी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (1994) 6 SSC 360 के फैसले पर पुनर्विचार किया जा सकता है.

59. यह आवेदन सदाशयता और न्याय के हक में किया गया है.

और अब अंत में

ऊपर जिन तथ्यों और परिस्थतियों का जिक्र किया गया है, उसके संदर्भ में माननीय अदालत से निवेदन है कि

ए. आवेदकों को मौजूद सिविल अपील में हस्तक्षेप की इजाजत दी जाए और माननीय अदालत के सामने अपील में उठाए गए मुद्दों के आधार पर अपनी बात कहने का मौका दिया जाए.

बी. कानूनी प्रक्रिया से परे जाकर विवादित जमीन का किसी गैर धार्मिक रूप में इस्तेमाल की इजाजत दी जाए.

www.cjp.org.in

सी. ऐसा कोई आदेश दिया जाए जिससे माननीय अदालत का यह फैसला मौजूदा केस के तथ्यों और परिस्थितियों में मुफीद बैठे.

दायर किया गया

द्वारा

सुश्री अपर्णा भट

आवेदकों की एडवोकेट

www.cjp.org.in